SifyMail

Date: Tue, 29 May 2012 22:30:50 +0530
From: RAJESH SHARMA <rks0272@gmail.com>
To: dirtya@dda.org.in
Cc: raj_pandit72
Subject: Objection road no-67

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
AREA PLANNING ZONE-E & O
REVIEW OF MPD-2021
NEW SUGGESTION
Dy. No. SUGG. 27
DATE 31/5/12

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 3863
Dated 5/6/12

Dear sir,

please find the attachment

Mahipal Sharma
President
Maujpur Market Shopkeepers Welfare Association
Mob:-9953848465

Review of MPD-2021

मौजपुर मार्किट शॉपकीपर्स वैलफेयर एसोसिएशन

दिल्ली सरकार की भागीदारी योजना के अन्तर्गत पंजीकृत

9013, मेन रोड, मौजपुर, दिल्ली-110053

24

-213-

क्रमांक .... दिनांक ....

26-4-12

सेवा में,

श्री तपन मण्डल,
निदेशक (योजना)
डी.डी.ए, जोन (ई एवं ओ),
तीसरा तल, विकास मीनार,
नई दिल्ली।

Dir (E & O)'S Office
Dy. No. 1709
Date 21-5-12
(ZONE-B)

विषय :- मास्टर प्लान दिल्ली 2021 की समीक्षा - एक सहभागिता प्रयास।
रोड़ सं.67 के सम्बंध में।

मान्यवर,

निवेदन यह है कि अखबार- नव भारत टाइम्स दिनांक 18 फरवरी 2012 के उपरोक्त विषय (मास्टर प्लान 2021) के सम्बंध में प्रार्थी निम्न सुझाव देना चाहता है :-

1. उपरोक्त रोड़ सं.67, 1962 के नक्शे के हिसाब से (जिसकी प्रति हमारे पास है) दुर्गापुरी से मौजपुर, कृष्णा गली न.7 व 8 के सामने से गांवड़ी होते हुए पुशते तक जानी थी।

2. उपरोक्त रोड़ सं.67 का रूट बदल दिया गया तथा इसकी सड़क के मार्किंग के पत्थरों को उखाड कर भू-माफियाओं ने प्लॉट बेच दिये तथा यहां वर्तमान में कई मकान बने हुए हैं।

3. शाहदरा से बाबरपुर होते हुए मौजपुर से आगे घोण्डा की जिस रोड़ को 67 नम्बर बताया गया है (जो 120 साल पुरानी है) वह गांव की रोड़ है तथा इसकी चौड़ाई 1895 से पटवारी व राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 34 फुट की है (जिसका सरकारी रिकार्ड हमारे पास है)। अतः इस प्रस्तावित रोड़ सं.67 पर हमारी आपत्ति है इसको न बनाया जाये क्योंकि इस रोड़ के दोनों तरफ सात किलोमीटर तक हजारों मकान तथा दुकानें बनी हुई हैं इसलिए घनी आवादी के बीच से 100 फुट का रोड़ निकालना उचित नहीं है क्योंकि इससे हजारों लोग प्रभावित होंगे और घर तथा काम से वंचित हो जाऐंगे तथा उनके परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जाऐगी।

30/5/12

21/5/12

FILE

कृ.पृ.उ.

25

मौजपुर मार्किट शॉपकीपर्स वैलफेयर एसोसिएशन

दिल्ली सरकार की भागीदारी योजना के अन्तर्गत पंजीकृत -212-

190/3, मेन रोड, मौजपुर, दिल्ली-110053

क्रमांक .... दिनांक ....

4. यह रोड़ मौजपुर प्राइमरी स्कूल के पास _⌐ की तरह बनती है। दिल्ली में ऐसी कोई भी 100 फुट की रोड़ ⌐ की तरह नहीं है क्योंकि इससे एक्सीडेन्ट का खतरा बढ़ जाता है। मास्टर प्लान रोड़ हमेशा सीधा ही होता है न कि टेढ़ा-मेड़ा।

5. जिस तरह मास्टर प्लान 2021 में जाफराबाद रोड़ जो 100 फुट का बनना था, उसको कंसिल किया गया है उसपर हमें आपत्ती है, उसे बनाया जाये।

6. मौजपुर में मेट्रो आने वाली है अतः इस प्रस्तावित 100 फुट रोड़ सं.67 का कोई ओचित्य नहीं है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि हजारों दुकानदारों व घरों और उनपर आश्रित व्यक्तियों को उजाड़ने से पहले इस रोड़ को समाप्त किया जाये अन्यथा वही सीधी सड़क निकाली जाये जो 1962 के नक्शे के अनुसार थी।

विशेष :- प्रार्थी उपरोक्त पत्र दिनांक 20.04.2012 को जमा करा चुका है परन्तु गलती से रोड़ सं.67 की बजाय रोड़ सं.66 लिखा गया। अतः इसे सुधारने का कष्ट करें।

धन्यवाद,

प्रार्थी,

महीपाल शर्मा

प्रधान

फोन : 9953848465

संलग्नः

1) नक्शा 1895 का पटवारी व तहसीलदार का
2) 1962 का मौजपुर कृष्णा गली का नक्शा (की प्लान)
3) 2001 का बदले हुए सड़क के रूट का नक्शा (की प्लान)